

न्यायालय

गो. 5-5-06  
5-9-12

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी।

वाद संख्या-03 (2012)  
19



अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0 अधिनियम  
ग्राम-बरदरी, परगना-बदोसरांय  
तहसील-सिरौलीगौसपुर, जिला-बाराबंकी।

स्व0 मोहनलाल वर्मा मेमोरियल फाउन्डेशन

बनाम

सरकार

**आदेश**

आज पत्रावली श्रीमती सुधारानी वर्मा पुत्री अंबिका नरायण के प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.08.2012 के आधार पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया गया कि उक्त वाद का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2006 के अन्तर्गत हो चुका है जिसका अनुपालन राजस्व अभिलेखों पर नहीं हो पाया है। प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 05.05.2006 का अनुपालन अभिलेखों पर कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 05.05.2006 के अन्तर्गत खातेदार की खाता संख्या-154 पर अंकित भूखण्डों को अकृषिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक/आबादी के रूप में घोषित किया जा चुका है जिसका अनुपालन अभिलेखों पर होने से छूट गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करके आदेश का अनुपालन अभिलेखों पर कराया जाना न्यायहित में उचित है।

अतः आदेश दिनांक 05.05.2006 के क्रम में ग्राम बरदरी की खाता संख्या-154 (1416 फ0-1421 फसली) पर अंकित भूखण्ड अकृषिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक/आबादी के रूप में दर्ज हो। तदनुसार अभिलेखों पर अमलदरामद के पश्चात् वाद पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखालय हो।

दिनांक- 5/9/12

5=131  
13/11/13

(इन्द्रासम सिंह यादव)

उपजिलाधिकारी

सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी।



कार्यालय

6

13-11-13

12/ =

156

Manager  
Chaudhary Charan Singh  
College of Pharmacy  
Bardari-Barabanki

Handwritten signature and text

उपजिलाधिकारी, सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी।

13-11-13